(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1166–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–11–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहना जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 14/अ–12/2015–16 ।

....

1–कल्याण कुशवाह पुत्र स्व0री जुगनू कुशवाह

निवासी कुशवाह मोहल्ला मोहना जिला ग्वालियर

2–रामजी कुशवाह पुत्र स्व0 श्री जुगनू कुशवाह

निवासी ग्राम मोहना जिला ग्वालियर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा

निवासी मोहना जिला ग्वालियर

2–मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

....

श्री अनुपम मिश्रा, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

श्री आर0पी0पालीवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहना जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम मोहना जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1276, 1277, 1278/2 व 1300/4 के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 18–11–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषको को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष द्वारा इस न्यायालय में अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसलिये प्रथमदृष्टया ही यह निगरानी समय बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । प्रकरण में गुणदोष पर

विचारोपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत अभिलिखित भूमिस्वामी शंकर कुशवाह आदि को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् सीमांकन किया गया है, इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहना जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर